

11	कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन (आत्मा)	सभी वर्ग के किसान	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. किसानों को जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय व राष्ट्र स्तरीय प्रशिक्षण हेतु कमशः 250-400, 1000 व 1250 रुपये प्रति-दिन की सहायता।</li> <li>2. कृषि प्रदर्शन हेतु 4000 रुपये प्रति प्रदर्शन प्रति 0.4 हैक्टेयर की सहायता।</li> <li>3. कृषि पाठशाला करने के लिए 29,414 रुपये प्रति पाठशाला की सहायता।</li> <li>4. किसानों को जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय व राष्ट्र स्तरीय भ्रमण हेतु कमशः 300, 500 व 1000 रुपये प्रति दिन प्रति किसान की सहायता।</li> <li>5. किसान समूहों जैसे की किसान रूचि समूहों, महिला समूहों, किसान संगठनों आदि को प्रोत्साहित करने हेतु सहायता: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) किसानों को क्षमता/दक्षता विकास आदि हेतु 5000 रुपये प्रति समूह प्रति वर्ष की सहायता।</li> <li>(2) आवर्ती निधि/कोष हेतु 10000 रुपये प्रति समूह की सहायता।</li> <li>(3) महिला खाद्य सुरक्षा समूह को आवर्ती निधि/कोष हेतु 10000 रुपये प्रति समूह की सहायता।</li> </ol> </li> <li>6. विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोत्तम संगठित समूहों को 20000 रुपये का प्रोत्साहन। किसानों को राज्य स्तरीय (50000 रुपये), जिला स्तरीय (25000 रुपये) व खण्ड स्तरीय (10000 रुपये) पुरस्कार व प्रोत्साहन राशि दी जाती है।</li> <li>7. कृषि सूचना का प्रचार: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) जिला स्तरीय प्रदर्शनी, किसान मेलों, फल व सब्जी प्रदर्शनी के आयोजन हेतु 4,00,000 रुपये प्रति जिला।</li> <li>(2) स्थानीय विज्ञापन व मुद्रित साहित्य आदि द्वारा सूचना के प्रसार हेतु प्रावधान।</li> <li>(3) सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सांझा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी पैकेज के विकास हेतु 20000 रुपये प्रति पैकेज की सहायता।</li> </ol> </li> <li>8. कृषि तकनीक को सुधारना व अपनाना: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) किसानों - वैज्ञानिकों की 2 दिनों की जिला स्तरीय चर्चा के आयोजन हेतु 20000 रुपये प्रति चर्चा।</li> <li>(2) अनुसंधान-प्रसार-किसान कड़ी को मजबूत करने हेतु किसान गोष्ठियों के आयोजन हेतु 15000 रुपये प्रति कार्यक्रम का प्रावधान।</li> </ol> </li> </ol>	आवेदन की कोई फीस नहीं है	किसी भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	जिला स्तर पर परियोजना निदेशक (आत्मा) को/ खण्ड स्तर पर कृषि विभाग की आत्मा परियोजना के खण्ड तकनीकी प्रबन्धक तथा सहायक तकनीकी प्रबन्धक के माध्यम से सम्पर्क करें।	सामान्य आवेदन
----	--------------------------------------	-------------------	--	--------------------------	--	---	---------------